रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 464] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 16, 2007/आश्विन 24, 1929
No. 464] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 16, 2007/ASVINA 24, 1929

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 30 अगस्त, 2007

सं. फेमा 157/2007-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 663(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उप-धारा 3 के खंड (घ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000-आरबी) में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(क) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2007 कहा जाएगा ।

(ख) ये इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू समझे जाएंगे ।

3. अनुसूची I में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000-आर बी) (इसके आगे "प्रधान विनियमावली" के रूप में उल्लिखित) में,—

(i) अनुसूची I में

(क) पैस (1) में , उप-पैरा (iv) में, खंड (आ) के बाद "नोट" को हटा दिया जाएगा तथा मई, 2007 के 21वें दिन से हटा दिया गया समझा जाएगा;

(ख) पैरा (1) में, उप-पैरा (iv) में खंड, (अ) के बाद अगस्त, 2007 के 7वें दिन से निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"(अअ) अनुमत अंतिम उपयोग हेतु विदेशी मुद्रा व्यय के लिए ही प्रति ऊधारकर्ता कंपनी को प्रति वित्तीय वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डालर तक विदेशी मुद्रा में उधार की अनुमति दी जाएगी ।"

4. अनुसूची II में संशोधन.—प्रधान विनियमावली की अनुसूची II में,

(i) पैरा (3) में, उप-पैरा (i) में, खंड (घ) के बाद अंत में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा तथा अगस्त, 2005 के पहले दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य कंपनी"

(ii) पैरा 4 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा तथा अगस्त, 2005 के पहले दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कोई कंपनी रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय अंतरराष्ट्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं अथवा संयुक्त उद्यम साझीदारों द्वारा वर्धित देशी रुपया मूल्यांकित सुनियोजित बाध्यता ऋण नहीं लेगी ।"

(iii) पैरा (3) में, उप-पैरा (vi) में, खंड (ख) के बाद अपवाद को उसके अपवाद-1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा नवम्बर 2005 के 4थे दिन से

संख्यांकित किया गया समझा जाएगा तथा अपवाद 1, जैसा कि संख्यांकित किया गया है, के बाद निम्नलिखित अपवाद जोड़ा जाएगा तथा नवम्बर, 2005 के 4थे दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा ।

"अपवाद-2 बैंक टेक्सटाइल कंपनियों के यूनिटों के आधुनिकीकरण अथवा विस्तार हेतु उनके द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से बैंक गारंटी, आपाती साख पत्र, वचन पत्र, चुकौती आश्वासन पत्र दे सकते हैं ।"

(iv) पैरा (3) में, उप-पैरा (iv) के लिए निम्नलिखित पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा दिसम्बर, 2006 के 4थे दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) परिपक्वता अवधि-(क) विदेशी मुद्रा में उधारों की परिपक्वता अवधि निम्नानुसार होगी :

क्रम सं.	राशि	औसत परिपक्वता अवधि
(i)	20 मिलियन अमरीकी डालर या उसके समकक्ष तक	तीन वर्ष से कम नहीं
(ii)	20 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक और 500 मिलियन डालर तक या उसके समकक्ष	पांच वर्ष से कम नहीं
(iii)	500 मिलियन डालर से अधिक और 750 मिलियन डालर तक या उसके समकक्ष	10 वर्ष से अधिक

(ख) 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के उधार क्रय/विक्रय विकल्प रख सकते हैं बशर्ते खंड (क) में निर्धारित 3 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का क्रय/विक्रय विकल्प देने से पूर्व अनुपालन किया जाता है ।

(ग) दस वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में 500 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक और 750 मिलियन अमरीकी डालर तक अथवा समकक्ष उधार हेतु पूर्व भुगतान और क्रय/विक्रय विकल्प की अनुमति नहीं दी जाएगी ।"

(v) पैरा (3) में, उप-पैरा (iii) में, खंड (आ) के बाद "नोट" को हटा दिया जाएगा और मई, 2007 के 21वें दिन से हटा दिया गया समझा जाएगा ।

(vi) पैरा (3) में, उप-पैरा (iii) के तहत खंड (अ) के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा और अगस्त, 2007 के 7वें दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा; अर्थात् :—

"(अअ) अनुमत अंतिम उपयोग हेतु रुपया व्यय के लिए प्रति वित्तीय वर्ष प्रति उधारकर्ता कम्पनी 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।"

[फा. सं.1/23/ई.एम./2000-खण्ड IV]

सलीम गंगाधरन, मुख्य महा प्रबंधक

पाद टिप्पणी :

प्रधान विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के सं. सा.का.नि. 386(अ) में भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात्

(क) सा.का.नि. 674(अ), तारीख 25 अगस्त, 2000,

(ख) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 8 जुलाई, 2002,

(ग) सा.का.नि. 854(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2002,

(घ) सा.का.नि. 531(अ), तारीख 9 जुलाई, 2003,

(ङ) सा.का.नि. 533(अ), तारीख 9 जुलाई, 2003,

(च) सा.का.नि. 208(अ), तारीख 23 मार्च, 2004,

(छ) सा.का.नि. 825(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2004,

(ज) सा.का.नि. 60(अ), तारीख 9 फरवरी, 2005,

(झ) सा.का.नि. 739(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2005 द्वारा संशोधित किए गए हैं ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th August, 2007

No. FEMA 157/2007-RB

Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2007

G.S.R. 663(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Seection 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following regulations to amend the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 3/2000-RB dated May 3, 2000), namely :—

2. Short title and commencement

(a) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2007.

(b) They shall come into force from the dates specified in these regulations.

3. Amendment to Schedule I

In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 3/2000-RB dated May 3, 2000)

(hereinafter referred to as ' the principal regulations'),—

(i) In Schedule I,

(a) in paragraph (1), in sub-paragraph (iv), after clause (B), the "Note" shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 21st day of May 2007;

(b) in paragraph (1), in sub-paragraph (iv), after clause (A) the following paragraph shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 7th day of August, 2007, namely :—

"(AA) Borrowings in foreign exchange upto USD 500 million per borrower company per financial year shall be permitted only for foreign currency expenditure for permissible end-use".

4. **Amendment to Schedule II.**—In Schedule II of the principal regulations,

(i) in paragraph (3), in sub-paragraph (i), after clause (D), the following clause shall be inserted at the end and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of August, 2005, namely :—

"(E) Any other entity as specified by the Reserve Bank."

(ii) after paragraph (4), the following paragraph shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of August, 2005, namely :—

"(5) No corporate registered under the Companies Act, 1956 shall avail domestic rupee denominated structured obligations credit enhanced by international banks, international financial institutions or joint venture partners, except with the prior approval of the Reserve Bank."

(iii) in paragraph (3), in sub-paragraph (vi), after clause (B), the Exception shall be numbered as Exception 1 thereof and shall be deemed to have been numbered with effect from the 4th day of November, 2005 and after Exception 1 as so numbered, the following Exception shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 4th day of November, 2005, namely :—

"Exception- 2—Banks may provide Bank Guarantee, Standby Letter of Credit, Letter of Undertaking or Letter of Comfort in respect of ECB by textile companies for modernisation or expansion of their textile units, with the approval of the Reserve Bank."

(iv) in paragraph (3), for sub-paragraph (iv), the following sub-paragraph shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 4th day of December, 2006, namely :—

"(iv) Maturity—(a) The maturity of borrowings in foreign exchange shall be as under :

Serial Number	Amount	Average Maturity
(i)	Upto US $ 20 million or equivalent	Not less than 3 years
(ii)	Exceeding US $ 20 million and upto US $ 500 million or equivalent	Not less than 5 years
(iii)	Exceeding US $ 500 million and upto US $ 750 million or equivalent	More than 10 years

(b) Borrowings upto US $ 20 million can have call/put option provided the minimum average maturity of 3 years as prescribed in clause (a) is complied with before exercising call/put option;

(c) No prepayment and call/put options shall be permitted for borrowings in foreign exchange exceeding an amount of US $ 500 million and up to an amount of US $ 750 million or equivalent for a minimum average maturity of ten years."

(v) in paragraph (3), in sub-paragraph (iii), after clause (B), the "Note" shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 21st day of May, 2007.

(vi) in paragraph (3), under sub-paragraph (iii), after clause (A), the following paragraph shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 7th day of August, 2007, namely :—

"(AA) External Commercial Borrowings up to USD 20 million per borrowing company per financial year for rupee expenditures for permissible end-use shall require prior approval of the Reserve Bank of India."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 386 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* :—

(a) G.S.R. 674(E) dated August 25, 2000

(b) G.S.R. 476(E) dated July 8, 2002

(c) G.S.R. 854(E) dated December 31, 2002

(d) G.S.R. 531(E) dated July 9, 2003

(e) G.S.R. 533(E) dated July 9, 2003

(f) G.S.R. 208(E) dated March 23, 2004

(g) G.S.R. 825(E) dated December 22, 2004

(h) G.S.R. 60(E) dated February 9, 2005

(i) G.S.R. 739(E) dated December 22, 2005.

अधिसूचना

मुम्बई, 3 सितम्बर, 2007

सं. फेमा 158/2007-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 664(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (च) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे ।

(ii) ये मई 25, 2007 से लागू समझे जाएंगे । @

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) विनियमावली, 2000 में अनुसूची 3 में, पैरा 7 के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"7 (अ) अटर्नी अधिकार द्वारा परिचालन

प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक अटर्नी अधिकार के अनुसार एन आर ओ खाते में परिचालन की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते ऐसे परिचालन (i) रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए संबंधित विनियमों के अनुपालन के अधीन पात्र निवेशों के भुगतान सहित रुपए में सभी स्थानीय भुगतान; और (ii) अनिवासी वैयक्तिक खाताधारक के भारत में चालू आय का भारत से बाहर प्रेषण, लागू टैक्सों के निवल तक सीमित हैं। निवासी अटर्नी अधिकार धारक स्वयं अनिवासी वैयक्तिक खाताधारक से इतर को किसी भी परिस्थितियों में, खाते में रखी गई निधियां भारत से बाहर प्रत्यावर्तित नहीं करेगा अथवा अनिवासी खाताधारक की ओर से किसी निवासी को उपहार के रूप में भुगतान नहीं करेगा अथवा खाते से अन्य एनआरओ खाते को निधियों का अंतरण नहीं करेगा । भारत से बाहर कोई प्रेषण समय-समय पर बैंक द्वारा यथानिर्धारित सीमा के अंदर और कर अनुपालन के अधीन होंगे ।"

[फा. सं. 1/23/ई.एम./2000-खण्ड IV]

सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

(i) @यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ii) मूल विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के सं. सा.का.नि. 388(अ) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए हैं :—

(क) सा.का.नि. 262(अ), तारीख 9 अप्रैल, 2002

(ख) सा.का.नि. 577(अ), तारीख 19 अगस्त, 2002

(ग) सा.का.नि. 855(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2002

(घ) सा.का.नि. 494(अ), तारीख 4 अगस्त, 2004

(ङ) सा.का.नि. 221(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2005

(च) सा.का.नि. 663(अ), तारीख 14 नवम्बर, 2005

(छ) सा.का.नि. 28(अ), तारीख 19 जनवरी, 2006 और

(ज) सा.का.नि. 495(अ), तारीख 23 जुलाई, 2007

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd September, 2007

No. FEMA 158/2007-RB

Foreign Exchange Management (Deposit) (Second Amendment) Regulations, 2007

G.S.R. 664(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 5/2000 RB dated May 3, 2000) namely :—

1. Short title and commencement :—

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Second Amendment) Regulations, 2007.

(ii) They shall be deemed to have come into force from May 25, 2007 @

2. Amendment of the Regulations :—

In the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000, in Schedule 3, after paragraph 7, the following new paragraph shall be inserted namely :—

"7(A) Operations by Power of Attorney

Authorised dealers/authorized banks may allow operations on an NRO account in terms of a Power of Attorney, provided such operations are restricted to (i) all local payments in rupees including payments for eligible investments subject to compliance with relevant regulations made by the Reserve Bank: and (ii) remittance outside India of current income in India of the non-resident individual account holder, net of applicable taxes. The resident Power of Attorney holder shall not repatriate outside India funds held in the account under any circumstances other than to the non-resident individual account holder himself nor shall make payment by way of gift to a resident on behalf of the non-resident account holder or transfer funds from the account to another NRO account. Any remittance outside India shall be within the ceiling as may be prescribed by the Bank from time to time and subject to tax compliance."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note :

(i) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to such regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 388(E) dated May 5, 2000 and subsequently amended *vide* :

(a) G.S.R. 262(E) dated April 9, 2002

(b) G.S.R. 577(E) dated August 19, 2002

(c) G.S.R. 855(E) dated December 31, 2002

(d) G.S.R. 494(E) dated August 4, 2004

(e) G.S.R. 221(E) dated April 7, 2005

(f) G.S.R. 663(E) dated November 14, 2005

(g) G.S.R. 28(E) dated January 19, 2006 and

(h) G.S.R. 495(E) dated July 23, 2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.